बिजली बिल अब समय के हिसाब से, सोलर पर बैटरी शर्त: नए मसौदे में क्या?

मूल प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 23 नवंबर 2026 (मसौदा जारी, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार)

प्रकाशन तिथि: 27 नवंबर 2026

सामान्य अध्ययन: प्रश्नपत्र-II (शासन, नीतियाँ) एवं प्रश्नपत्र-III (अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा)

प्रिलिम्स: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I (अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक क्षेत्र)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बिजली मंत्रालय ने 23 नवंबर 2026 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2026 का संशोधित मसौदा (ड्राफ्ट) जारी किया है और राज्यों, नियामकों, वितरण कंपनियों, उद्योग संगठनों तथा उपभोक्ता समूहों से 23 दिसंबर 2026 तक सुझाव माँगे हैं (जारी करने की तिथि और सुझावों की अंतिम तिथि मंत्रालय के मसौदा दस्तावेज़ में नहीं लिखी है)। यह मसौदा मार्च 2026 में जारी पहले मसौदे का संशोधित रूप है। यह अभी अधिसूचित नियम नहीं है; अंतिम रूप देने के बाद प्रस्ताव है कि ये 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। केवल ऊर्जा भंडारण वाले उप-नियम 11(4A) की प्रोवाइज़ो, जिसमें 10 kW की डिफ़ॉल्ट सीमा है, 1 अप्रैल 2028 से लागू होगी।

परिचय

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पहली बार 31 दिसंबर 2020 को अधिसूचित हुए थे। इनका उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवा और गुणवत्तापूर्ण बिजली का अधिकार देना था। इनमें अंतिम संशोधन 22 फरवरी 2024 को हुआ था। अब बिजली मंत्रालय ने विद्युत

अधिनियम, 2003 की धारा 176 के अंतर्गत इनमें बड़े बदलावों का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय के अनुसार वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति पर गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की चर्चा, बैटरी भंडारण की घटती लागत और बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा के कारण ग्रिड प्रबंधन की नई चुनौतियाँ इन बदलावों की पृष्ठभूमि हैं।

मुख्य भाग

मसौदे के प्रमुख प्रस्ताव एक नज़र में

प्रस्ताव	मौजूदा व्यवस्था	मसौदे में प्रस्तावित	प्रस्तावित तिथि
टाइम ऑफ़ डे (ToD) टैरिफ	10 kW से अधिक C&I उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल 2024 से, शेष (कृषि छोड़कर) पर 1 अप्रैल 2025 से	10 kW से अधिक अधिकतम माँग वाले उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल 2028 से देर नहीं; शेष गैर-कृषि उपभोक्ताओं पर राज्य आयोग की तय तिथि, 1 अप्रैल 2029 से देर नहीं	1 अप्रैल 2028 / 1 अप्रैल 2029
बिल असामान्यता की समीक्षा	कोई स्वतः समीक्षा व्यवस्था नहीं	पिछले 6 बिलिंग चक्रों के औसत से 5 गुना अधिक या 1/5 से कम खपत पर स्वतः समीक्षा, 30 दिन में निपटारा	नियम लागू होने के 6 माह के भीतर
औसत बिल भरने पर कटौती नहीं	-	समीक्षा पूरी होने तक उपभोक्ता औसत खपत के आधार पर बिल भरे तो आपूर्ति नहीं काटी जाएगी	उपर्युक्त के साथ
नेट मीटरिंग शुल्क	सीमा तय न होने पर 500 kW तक नेट मीटरिंग	आयोग नेट मीटरिंग पर शुल्क तय कर सकेगा; आयोग की तय सीमा तक कोई शुल्क नहीं	1 अप्रैल 2027
ऊर्जा भंडारण (ESS)	अनिवार्यता नहीं	आयोग तय सीमा से अधिक क्षमता पर भंडारण माँग सकेगा; सीमा न तय होने पर 10 kW से अधिक पर लागू	1 अप्रैल 2027; 10 kW डिफ़ॉल्ट-सीमा वाली प्रोवाइज़ो 1 अप्रैल 2028 से
नया कनेक्शन	महानगर 3 दिन, अन्य नगरीय 7 दिन, ग्रामीण 15 दिन, पहाड़ी ग्रामीण 30 दिन	नगर निगम क्षेत्र भी 3-दिन श्रेणी में; लाइन-विस्तार/नए सबस्टेशन की स्थिति में विस्तार के तुरंत बाद, अधिकतम 90 दिन	1 अप्रैल 2027
शिकायत निवारण मंच (CGRF)	उप-खण्ड, मण्डल, परिक्षेत्र, ज़ोन, कंपनी, कई स्तर	कम से कम दो स्तर: कंपनी स्तर और ज़िला/नगरपालिका स्तर; अधिकतम 4 सदस्य	1 अप्रैल 2027
डिमांड रिस्पॉन्स	नियमों में परिभाषा/ढाँचा नहीं	परिभाषा जुड़ेगी; आयोग कार्यान्वयन ढाँचा तय करेगा (नया नियम 17)	1 अप्रैल 2027

टाइम ऑफ़ डे टैरिफ (ToD): समय के हिसाब से बिजली का दाम

टाइम ऑफ़ डे टैरिफ का अर्थ है दिन के अलग-अलग समय बिजली की अलग-अलग दर, जब माँग कम या सौर उत्पादन अधिक हो तो सस्ती बिजली, और चरम (पीक) घंटों में महँगी बिजली। मसौदे के अनुसार 10 kW से अधिक अधिकतम माँग वाले उपभोक्ताओं पर ToD टैरिफ 1 अप्रैल 2028 से देर नहीं लागू होगा, और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर शेष सभी उपभोक्ताओं पर राज्य आयोग की तय तिथि से, लेकिन 1 अप्रैल 2029 से देर नहीं। ToD केवल सामान्य टैरिफ के ऊर्जा प्रभार (एनर्जी चार्ज) घटक पर लागू होगा। समय-खण्ड तय करते समय आयोग डिस्कॉम और राज्य की लोड प्रोफ़ाइल, सौर एवं नवीकरणीय उत्पादन की प्रोफ़ाइल, दिन के अलग समय बिजली ख़रीद की लागत (पावर एक्सचेंज की दरों सहित) और मीटरिंग ढाँचे की क्षमता को ध्यान में रखेगा। समझाने की टिप्पणी (एक्सप्लेनेटरी नोट) के अनुसार यह बदलाव स्मार्ट मीटर लगने की गति से जुड़ा है; देशभर में स्मार्ट मीटर की स्थापना अप्रैल 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। मौजूदा ढाँचे में 8 घंटे का सौर-काल और न्यूनतम दर-अंतर निर्धारित था; मसौदा राज्य आयोगों को राज्य की परिस्थितियों के अनुसार सौर एवं पीक घंटे तय करने की अधिक लचक देता है।

बिल में असामान्यता पर स्वतः समीक्षा और कटौती से सुरक्षा

मसौदे में नियम 6 में नया उप-नियम (13) जुड़ेगा। यदि किसी बिलिंग चक्र में उपभोक्ता की खपत पिछले छह बिलिंग चक्रों की औसत खपत से पाँच गुना अधिक या एक-पाँचवें हिस्से से कम हो जाए (या राज्य आयोग जो सीमा तय करे), तो वितरण कंपनी अपने बिलिंग सिस्टम में ऐसे मामले पहचानेगी, उचित स्तर पर समीक्षा करेगी और बिल बनने की तिथि से 30 दिन के भीतर निपटारा करेगी। यह प्रावधान नियम लागू होने की तिथि से छह माह के भीतर (या कंपनी के इंतज़ाम पूरा होते ही पहले) प्रभावी होगा। सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता-सुरक्षा: जब तक मामला सुलझ न जाए, उपभोक्ता यदि पिछले छह बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर बिल भरता रहे, तो उसकी बिजली नहीं काटी जाएगी।

नेट मीटरिंग, नेट-बिलिंग और रूफ़टॉप सोलर

नेट मीटरिंग वह व्यवस्था है जिसमें रूफ़टॉप सोलर उपभोक्ता (प्रोस्यूमर, उत्पादक+उपभोक्ता) ग्रिड को दी गई और ग्रिड से ली गई बिजली के अंतर पर बिल चुकाता है। मसौदे में नियम 11 बदलेगा:

- रूफ़टॉप के अलावा परिसर के अन्य भाग पर भी नवीकरणीय ऊर्जा इकाई लगाई जा सकेगी। स्थापित क्षमता स्वीकृत भार (सैंक्शन्ड लोड) से अधिक हो सकेगी, लेकिन ग्रिड में स्वीकृत भार से अधिक बिजली तभी डाली जा सकेगी जब वितरण कंपनी विशेष अधिकृत करे; बिना अधिकृत अतिरिक्त इंजेक्शन पर न भुगतान मिलेगा, न क्षतिपूर्ति, और आयोग की तय पेनल्टी लग सकेगी।
- नेट-मीटरिंग, ग्रॉस-मीटरिंग, नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन राज्य आयोग के विनियमों के अनुसार होंगे। आयोग नेट मीटरिंग पर शुल्क तय कर सकेगा; आयोग द्वारा तय सीमा तक की सोलर PV क्षमता पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क तय करते समय ऊर्जा भंडारण की आरोपित (इम्प्यूटेड) लागत और नेटवर्क हानि को ध्यान में रखा जा सकेगा। समझाने की टिप्पणी के अनुसार इसका कारण यह है कि नेट मीटरिंग उपभोक्ता शुद्ध खपत पर बिल भरते हैं, जिससे डिस्कॉम की स्थिर लागत (फ़िक्स्ड कॉस्ट) की वसूली अधूरी रह जाती है और अन्य उपभोक्ताओं पर क्रॉस-सब्सिडी का बोझ बढ़ता है।
- नेट-बिलिंग/नेट फीड-इन उपभोक्ताओं के लिए आयोग ToD दरें ला सकेगा, जिससे वे भंडारण लगाकर पीक घंटों में संचित सौर ऊर्जा स्वयं उपयोग करें या ग्रिड को दें।
- जो प्रोस्यूमर पूरी सौर बिजली डिस्कॉम को बेचना चाहें, उनके लिए आयोग ग्रॉस-मीटरिंग और उसका सामान्य (जेनेरिक) टैरिफ तय कर सकेगा।

ऊर्जा भंडारण (बैटरी) की शर्त: क्या सभी के लिए अनिवार्य है?

नहीं। मसौदे का नया उप-नियम 11(4A) कहता है कि जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापित क्षमता राज्य आयोग की तय सीमा से अधिक हो, वहाँ आयोग प्रोस्यूमर से ऐसी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) लगाने को कह सकेगा, जिसकी भंडारण क्षमता उस प्रणाली की एक दिन की कुल ऊर्जा उत्पादन के कम से कम बीस प्रतिशत (या आयोग की तय अन्य मात्रा) के बराबर हो। यदि आयोग सीमा तय न करे, तो यह शर्त 10 किलोवाट (kW) से अधिक स्थापित क्षमता पर लागू होगी।

तीन बातें स्पष्ट रखना ज़रूरी हैं:
1. यह शर्त राज्य आयोग के विवेक पर निर्भर है, आयोग "कह सकेगा" (may), यह सर्वव्यापी अनिवार्यता नहीं है।
2. बीस प्रतिशत की गणना दैनिक ऊर्जा उत्पादन (kWh) पर है, स्थापित kW क्षमता पर नहीं।
3. मसौदे के मूल पाठ में केवल इस उप-नियम की प्रोवाइज़ो, यानी 10 kW की डिफ़ॉल्ट सीमा वाला भाग, 1 अप्रैल 2028 से लागू होगी; मुख्य उप-नियम, जिसमें आयोग अपनी तय सीमा से ऊपर भंडारण माँग सकेगा, 1 अप्रैल 2027 से ही प्रभावी होगा। समझाने की टिप्पणी के अनुसार इस व्यवस्था के लिए नियामकीय और निवेश की तैयारी का पर्याप्त समय देना उद्देश्य है।

मंत्रालय की टिप्पणी के अनुसार पिछले दो वर्षों में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की लागत में काफी गिरावट आई है, जिससे रूफ़टॉप के साथ भंडारण आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो गया है; इससे दिन की अतिरिक्त सौर बिजली शाम के घंटों में इस्तेमाल हो सकेगी और ग्रिड स्थिर रहेगा।

नया कनेक्शन: समय-सीमा और कड़ी

नियम 4(11) के नए रूप में आवेदन पूर्ण होने की तिथि से नया कनेक्शन या संशोधन की अधिकतम सीमा: महानगर एवं नगर निगम क्षेत्रों में 3 दिन, अन्य नगरीय क्षेत्रों में 7 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन। पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) के ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन। जहाँ वितरण मुख्य लाइन बढ़ानी हो या नया सबस्टेशन लगाना हो, वहाँ विस्तार/कमीशनिंग के तुरंत बाद, अधिकतम 90 दिन के भीतर आपूर्ति देनी होगी। टिप्पणी के अनुसार कई बड़े शहर औपचारिक रूप से "महानगर" अधिसूचित नहीं हैं, इसलिए वे अब तक लंबी समय-सीमा में आते थे; नगर निगम क्षेत्रों को 3-दिन की सीमा में जोड़ने से उन्हें सीधा लाभ मिलेगा।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF): दो स्तर और ऑनलाइन निगरानी

अभी राज्यों में CGRF के स्तर अलग-अलग हैं (उप-खण्ड, मण्डल, परिक्षेत्र, ज़ोन, कंपनी)। मसौदा इसे कम से कम दो स्तरों, कंपनी स्तर और ज़िला/नगरपालिका स्तर, में मानकीकृत करता है। मंच में अध्यक्ष समेत अधिकतम चार सदस्य होंगे, जिनमें उपभोक्ता प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिकायत सामान्यतः 30 दिन में और किसी भी दशा में 45 दिन के भीतर निपटेगी; ज़िला/नगरपालिका स्तर के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता 90 दिन के भीतर कंपनी-स्तरीय मंच जा सकेगा, उसके बाद लोकपाल (ओम्बड्समैन)। वितरण कंपनी वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, वर्चुअल सुनवाई और स्थिति जाँचने की व्यवस्था करेगी; हर शिकायत की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

डिमांड रिस्पॉन्स: नई परिभाषा और नया नियम 17

डिमांड रिस्पॉन्स (माँग अनुक्रिया) का अर्थ है मूल्य संकेतों या आर्थिक प्रोत्साहनों से उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना कि वे अपनी बिजली खपत उस समय खिसकाएँ जब आपूर्ति अधिक या माँग कम हो। मसौदा नियम 2 में यह परिभाषा जोड़ता है और नया नियम 17 डालता है, जिसमें राज्य आयोग डिमांड रिस्पॉन्स कार्यान्वयन का ढाँचा तय करेगा, भागीदारी की पात्रता, प्रोत्साहन, सॉफ़्टवेयर और संचार प्रोटोकॉल, मापन एवं वित्तीय निपटान की प्रक्रिया समेत। इससे पीक घंटों में महँगी बिजली ख़रीदने की ज़रूरत घटेगी और नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण आसान होगा।

मसौदे की स्थिति: यह अभी नियम नहीं है

यह मसौदा अभी प्रस्ताव के चरण में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मंत्रालय ने 23 दिसंबर 2026 तक हितधारकों की टिप्पणियाँ माँगी हैं; मसौदा 23 नवंबर 2026 को जारी हुआ, ये दोनों तिथियाँ मंत्रालय के मसौदा दस्तावेज़ में उल्लिखित नहीं हैं। मसौदे पर अंतिम निर्णय टिप्पणियों के बाद होगा; अधिसूचना (गज़ट) के बाद ही ये नियम लागू होंगे। प्रस्तावित लागू तिथि 1 अप्रैल 2027 है; केवल उप-नियम 11(4A) की प्रोवाइज़ो (10 kW डिफ़ॉल्ट सीमा) 1 अप्रैल 2028 से लागू होगी। मूल नियम 2020 के हैं और अंतिम संशोधन फरवरी 2024 में हुआ था; यह मसौदा मार्च 2026 के पहले मसौदे के बाद आया संशोधित मसौदा है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

- प्रिलिम्स: नियमों का नाम, अधिनियम की धारा 176, मूल नियम 2020, ToD की प्रस्तावित तिथियाँ (2028/2029), भंडारण का 20%-दैनिक-उत्पादन सूत्र और 10 kW डिफ़ॉल्ट सीमा, बिल असामान्यता के 5 गुना/1-पाँचवाँ मानदण्ड, सीधे तथ्यात्मक प्रश्न बन सकते हैं।
- मुख्य परीक्षा: GS-II (शासन, नियामकीय ढाँचा, नागरिक-केंद्रित सेवा) और GS-III (ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, DISCOM सुधार) दोनों से जुड़ता है।

निष्कर्ष

यह मसौदा उपभोक्ता-हित (बिल सुधार, कटौती से सुरक्षा, तेज़ कनेक्शन, मज़बूत शिकायत तंत्र) और ग्रिड-आवश्यकता (ToD, भंडारण, डिमांड रिस्पॉन्स, क्रॉस-सब्सिडी में कमी), दोनों को जोड़ने का प्रयास है। अंतिम रूप टिप्पणियों के बाद तय होगा; तब तक इसे प्रस्तावित बदलाव के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।

आगे की राह

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 23 दिसंबर 2026 तक सुझाव आने के बाद मंत्रालय अंतिम नियम अधिसूचित करेगा। तब राज्य आयोगों पर निर्भर रहेगा कि वे ToD समय-खण्ड, नेट मीटरिंग शुल्क-सीमा और भंडारण सीमा कैसे तय करते हैं, यानी असली असर राज्य-दर-राज्य के विनियमों से दिखेगा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2026 के मसौदे में प्रस्तावित प्रमुख बदलावों की समीक्षा कीजिए। ये प्रस्ताव उपभोक्ता संरक्षण और ग्रिड स्थिरता के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? (250 शब्द) (15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में:

- 2020 के नियमों का उद्देश्य और संशोधित मसौदे का परिचय (मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 23 नवंबर 2026 को जारी); GoM की पृष्ठभूमि।

मुख्य भाग में:

- उपभोक्ता-हित प्रस्ताव: बिल असामान्यता की स्वतः समीक्षा (5 गुना/1-पाँचवाँ, 30 दिन), औसत बिल भुगतान पर कटौती-रोक, कनेक्शन समय-सीमा (3/7/15/30/90 दिन), CGRF का दो-स्तरीय मानकीकरण और 30/45 दिन निपटारा।
- ग्रिड-प्रबंधन प्रस्ताव: ToD टैरिफ (2028/2029), नेट मीटरिंग शुल्क का आयोगी विवेक, ESS (दैनिक उत्पादन का न्यूनतम 20%; मुख्य उप-नियम 2027 से, 10 kW डिफ़ॉल्ट सीमा 2028 से), डिमांड रिस्पॉन्स ढाँचा।
- संतुलन का विश्लेषण: क्रॉस-सब्सिडी में कमी बनाम छोटे उपभोक्ताओं पर शुल्क-सीमा सुरक्षा; राज्य आयोगों की लचक।

निष्कर्ष में:

- मसौदा दिशा में सही क़दम; असली परीक्षा राज्य स्तर के कार्यान्वयन और स्मार्ट मीटरिंग की गति में।

प्रश्न 2. "रूफ़टॉप सोलर के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण का एकीकरण भारतीय बिजली क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गया है।" विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2026 के मसौदे के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। (250 शब्द) (15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में:

- नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी और ग्रिड लचक की चुनौती; BESS लागत में गिरावट।

मुख्य भाग में:

- मसौदे का प्रस्ताव: आयोग-विवेकाधीन ESS (दैनिक उत्पादन का न्यूनतम 20%; मुख्य उप-नियम 2027 से, 10 kW डिफ़ॉल्ट सीमा 2028 से)।
- लाभ: पीक-शिफ़्टिंग, ग्रिड स्थिरता, DISCOM का संतुलन लागत में कमी, उपभोक्ता को ऊर्जा-स्वावलंबन।
- चुनौतियाँ: लागत, छोटे उपभोक्ताओं पर बोझ, राज्य-स्तरीय विनियमन की असमानता, क्षमता सीमा की स्पष्टता।
- नेट-बिलिंग/ToD से भंडारण को प्रोत्साहन का पूरक तंत्र।

निष्कर्ष में:

- सशर्त और चरणबद्ध दृष्टिकोण व्यवहार्य; स्पष्ट राज्य विनियम और लागत-समर्थन आवश्यक।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. क्या विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2026 लागू हो गए हैं?

नहीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह 23 नवंबर 2026 को जारी मसौदा (ड्राफ्ट) है और मंत्रालय 23 दिसंबर 2026 तक सुझाव ले रहा है (ये तिथियाँ मसौदा दस्तावेज़ में नहीं लिखी हैं)। अंतिम अधिसूचना के बाद ही ये लागू होंगे; प्रस्तावित तिथि 1 अप्रैल 2027 है।

2. क्या अब सभी रूफ़टॉप सोलर उपभोक्ताओं को बैटरी लगानी होगी?

नहीं। मसौदे में राज्य आयोग को यह विवेक दिया गया है कि वह अपनी तय सीमा से अधिक क्षमता वाली प्रणालियों पर भंडारण की शर्त लगाए; सीमा तय न होने पर यह 10 kW से अधिक स्थापित क्षमता पर लागू होगी। भंडारण क्षमता दैनिक ऊर्जा उत्पादन की कम से कम 20% होगी। यह सर्वव्यापी अनिवार्यता नहीं है।

3. टाइम ऑफ़ डे टैरिफ कब से लागू होगा?

मसौदे के अनुसार 10 kW से अधिक अधिकतम माँग वाले उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल 2028 से देर नहीं, और शेष गैर-कृषि उपभोक्ताओं पर राज्य आयोग की तय तिथि से, अधिकतम 1 अप्रैल 2029 तक।

4. यदि मेरा बिल असामान्य रूप से अधिक आ जाए तो क्या होगा?

मसौदे में प्रस्ताव है कि पिछले 6 बिलिंग चक्रों के औसत से 5 गुना अधिक या 1/5 से कम खपत के मामले वितरण कंपनी स्वतः समीक्षा कर 30 दिन में निपटाएगी; तब तक उपभोक्ता औसत के आधार पर बिल भरे तो आपूर्ति नहीं काटी जाएगी।

5. नए बिजली कनेक्शन में कितना समय लगेगा?

मसौदे में प्रस्ताव: महानगर एवं नगर निगम क्षेत्र 3 दिन, अन्य नगरीय 7 दिन, ग्रामीण 15 दिन, पहाड़ी ग्रामीण 30 दिन; लाइन-विस्तार/सबस्टेशन की स्थिति में अधिकतम 90 दिन।

6. डिमांड रिस्पॉन्स क्या है?

मूल्य संकेत या आर्थिक प्रोत्साहन से उपभोक्ताओं द्वारा बिजली उपयोग को उस समय खिसकाना जब आपूर्ति अधिक या माँग कम हो; इससे ग्रिड संतुलन बनता है और महँगी पीक-बिजली की ज़रूरत घटती है।

संबंधित लेख

रूफ़टॉप सोलर और नेट मीटरिंग की मौजूदा व्यवस्था समझने के लिए पढ़ें: पीएम सूर्य घर, सौर विनिर्माण और ग्रिड भंडारण

सरकार की छत-सौर योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया: घरेलू सौर अपनाना: PM सूर्यघर और PM-KUSUM की रुकावटें

स्रोत

1. बिजली मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2026 का मसौदा एवं समझाने की टिप्पणी
2. बिजली मंत्रालय, "मसौदा विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2026 पर टिप्पणियाँ आमंत्रित" (12 मार्च 2026, पहला मसौदा), नोटिस सूची
3. SolarQuarter (24 नवंबर 2026)
4. Elekore Energy (25 नवंबर 2026)